कार्यालय, नगर पालिक निगम रायगढ़,(छत्तीसगढ़)

परिषद् की विशेष सम्मिलन बैठक दिनांक 23/09/016 समय दोपहर 02:00 बजे

प्रारूप – ग

(नियम 8 देखिए)

कार्यसूची मद क्रमांक	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	पारित संकल्प	उस स्थिति में जब विनिश्चय न हो पार्षद का नाम जिसने मतदान किया			मतदान का साधन
			विनिश्चय के पक्ष में	विनिश्चय के विपक्ष में	मतदान नहीं किया	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायगढ नगर निगम 48 वार्डो के लिए आवश्यक मूलभूत सडक, नाली, लाईट, पाईप एवं सफाई सामग्री हेतु राज्य शासन से राशि आबंटन हेतु पत्र भेजने पर विचार।	सभी 48 वार्डो के पाईप लाईन, हाथ ठेला, रिक्शा, नाली, सडक निर्माण, विद्युत सामग्री हेतु शासन से राशि आबंटन के लिये सबधित प्रभारी सदस्य पार्षदों से कार्यो की सूची प्राप्त करेंगे एवं आयुक्त को कार्यो की सूची उपलब्ध करायेंगे। जिस पर प्राक्कलन तैयार कर शासन को आयुक्त द्वारा 15 दिवस में प्रस्ताव बनवाकर भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।	–	–	–	–
2	श्रीमान पुलिस अधीक्षक की सी.सी. कैमरा योजना मुख्य–मुख्य स्थानों पर लगाने हेतु पार्षद निधि आबटन के लिये राज्य शासन को पत्र भेजने पर विचार।	प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एव विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र. एफ 5–12/2015/18 नया रायपुर दिनाक 04 दिसम्बर 2015 में पार्षद निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्देश में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रस्ताव, शहर के मुख्य–मुख्य स्थानों पर सी.सी. कैमरा हेतु पार्षद निधि से कार्य कराने का निर्देश नहीं होने के कारण पार्षद अपने पार्षद निधि रां 50,000/– रुपये की अनुशंसा की अनुमति हेतु शासन को पत्र भेजे जाने एवं शहर की सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम निधि से भी व्यय करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।	–	–	–	–

कार्यसूची मद क्रमांक	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	पारित संकल्प	उस स्थिति में जब विनिश्चय न हो पार्षद का नाम जिसने मतदान किया			मतदान का साधन
			विनिश्चय के पक्ष में	विनिश्चय के विपक्ष में	मतदान नहीं किया	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	रायगढ़ नगर निगम में पदस्थ नये उप अभियंताओं द्वारा नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों से अव्यवहारिक रवैये पर विचार।	प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, निगम में पदस्थ नये कुछ उप अभियंताओं के विरुद्ध नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से अव्यवहारिक रवैये से स्पष्टता के साथ कार्य हेतु पार्षदों से भी रुपये की मांग के आरोप भी लगे, किन्तु उप अभियंताओं के परिवीक्षा अवधि में होने से इन्हें एक अवसर प्रदान कर अच्छे व्यवहार करने की चेतावनी देते हुए शासन को पत्र भेजे जाने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।	—	—	—	—
4	नगर पालिक निगम के होने वाले निविदाओं (टेंडर) के प्रक्रियाओं से निगम को हो रहे आर्थिक क्षति पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही व स्थानांतरण के लिये राज्य शासन को पत्र भेजने पर विचार।	प्रस्तुत विषय पर सम्माननीय पार्षदों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित पाया गया कि प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. शर्मा द्वारा निविदा नियमों की गंभीर अवहेलना करते हुये निगम को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है : 1. एस.पी. काम्प्लेक्स के निर्माण मे बिना सक्षम स्वीकृति की अधिक राशि भुगतान की गई, उसी काम्प्लेक्स में अतिरिक्त भुगतान के अलावा निगम मद से कई निविदा जारी कर भुगतान जारी किया जाना पाया गया। 2. एस.पी. काम्प्लेक्स में ही ग्रिल एवं एल्युमिनियम सेक्शन की निविदा 06 सितम्बर को जारी की गई, जिसको 22 सितम्बर को खोला जाना था किन्तु सदन में निविदा की फोटो कापी तथा कार्य पूर्ण होने के फोटोग्राफ प्रस्तुत कर बताया गया कि निविदा खुलने के पूर्व ही कार्य पूर्ण हो चुका है। जो इस तथ्य का प्रमाण है कि बिना निविदा के ही अपने चहेते ठेकेदार से कार्य करवाया गया। 3. विद्युत सामग्री क्रय करने हेतु प्रथम एकल निविदा	—	—	—	—

कार्यसूची मद क्रमांक	प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण	पारित संकल्प	उस स्थिति में जब विनिश्चय न हो पार्षद का नाम जिसने मतदान किया			मतदान का साधन
			विनिश्चय के पक्ष में	विनिश्चय के विपक्ष में	मतदान नहीं किया	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		स्वीकृत की गई जबकि प्रथम एकल निविदा के नाम से दूसरे कार्य की निविदा अस्वीकृत की गई, जो दोहरे नीति अपनाया जाना सिद्ध करता है। 4. एक अन्य कार्य में प्रचलित दर से 29.13 प्रतिशत अधिक दर की प्रथम एकल निविदा को स्वीकृत करेन की भूमिका तैयार की गई। 5. निविदा फार्म प्रदाय करने के पूर्व प्रभारी कार्यपालन अभियंता की स्वीकृति लेने का अघोषित नियम लागू किया गया जो सांठगांठ करने की चेष्टा है। 6. जानबुझकर बदनियति से एक ही कार्य को दो योजनाओं में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त सभी आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण तथा निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने के कारण श्री डी.के. शर्मा को निगम के सभी दायित्वों से तत्काल ई.ई. के कार्य से मुक्त करने के लिये आयुक्त महोदय को सलाह दी जाती है तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं स्थानांतरण किये जाने की शासन को उपरोक्तानुसार प्राप्त दस्तावेज के आधार पर पत्र भेजे जाने हेतु अनुशंसा की जाती है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।				

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी